कृषि उपज मण्डी समिति सोलन, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2011 से 31.03.2012

भाग–एक

1 प्रारम्भिकः–

(क) कृषि उपज मण्डी समिति सोलन के अवधि 1.4.2011 से 31.3.212 के लेखाओं का अंकेक्षण इस विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेष कृषि एवं उद्यान अधिनियम 1971 की धारा 100(3) के दृष्टिगत पूर्व अंकेक्षण प्रणाली के अन्तर्गत किया गया।

(ख) अंकेक्षणाधीन अवधि 2011–2012 के दौरान मण्डी समिति, सोलन में अध्यक्ष तथा सचिव के पद पर कार्यरत्त रहे पदाधिकारियों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र0सं0	पदाधिकारी का नाम	पद	अवधि
1	श्री मोहन सिंह ठाकुर	अध्यक्ष	1.4.2011 से 31.3.2012
2	डा. परषोत्तम वर्मा	सचिव	1.4.2011 से 24.10.2011
3	डा0 भानु षर्मा	सचिव	1.11.2011 से 31.3.2012

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

कृषि उपज मण्डी समिति सोलन के अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.2011 से 31.3.2012 में सम्मिलित आडिट पैरों की गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

क्रम संख्या	विवरण	पैरा संख्या	राषि लाखों में
1	Market Fees तथा Rent की Recovery इत्यादि से सम्बन्धित Bounced Cheques की न्यायालय के माध्यम से वसूली करने बारे	5	13.18
2	साविध जमा पर ब्याज के रूप में कम प्राप्ति	7	0.16
3	गत वर्ष की तुलना में मण्डी समिति की आय में कमी पाया जाना	8	66.06
4	अधिषाषी अभियन्ता IPH विभाग के नाम राषि का असमायोजित दर्षाया जाना	10 (ख)	3.47
5	आयकर विभाग के नाम राषि का असमायोजित दर्षाया जाना	10 (ग)	137.94

6	विद्युत मीटरों को कटवाने के उपरान्त भी राषि की प्रतिभूति प्राप्त न करना	11	0.24
7	मण्डी समिति द्वारा विभिन्न दुकानों व गोदामों की देय प्रतिभूति राषि में भारी अन्तर पाया जाना	12	30.71
8	तुलन पत्र के "Capital Work in Progress" षीर्ष में असमायोजित राषि का षेष दर्षाया जाना।	13	172.63
9	टर्मिनल मण्डी, परवाणू में पट्टे पर आंबटित दुकानों की दुकानदारों से पट्टे की वसूली योग्य षेष पाया जाना तथा वसूली योग्य उक्त राषि को तुलन पत्र मे न दर्षाया जाना।	15	37.96
10	दुकानो के किराये की वसूली हेतु राषि का षेष पाया जाना तथा दुकानों के किराये के रूप में दर्षाई गई परिषिष्ट "द" की राषि तथा तुलन पत्र के SCHEDULE-8 में दर्षाई गई राषि में भिन्नता का पाया जाना।	16	21.83
11	मण्डी समिति द्वारा कारोबारियों के लेखों/फार्म "ओ" की विस्तृत जांच न करना तथा अनिल कुमार साहनी से मण्डी षुल्क/ब्याज की वसूली योग्य राषि का षेष पाया जाना	17	0.44
12	उप मण्डी नालागढ़ के अन्तर्गत विभिन्न व्यापारियों से मण्डी षुल्क के रूप में वसूली हेतु राषि का षेष पाया जाना	21	0.26

(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों पर की गई कार्रवाई के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति संलग्न परिशिष्ट ''A'' पर दर्षाई गई है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों मे ंवसूली से सम्बन्धित अनेक आपत्तियॉ षामिल है जिन पर षीध्र अतिषीध्र कार्रवाई करके अपेक्षित वसूली की जानी सुनिष्चित की जाये ताकि अंकेक्षण पैरों का निस्तांरण सम्भव हो सके।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :–

मण्डी समिति सोलन के अवधि 2011–2012 के लेखाओं का अंकेक्षण श्री ज्ञान चन्द शर्मा अनुभाग अधिकारी तथा श्री अमर दत्त लेखा परीक्षक द्वारा पूर्वाकेंक्षण प्रणाली के आधार पर किया गया।

3 अंकेक्षण शुल्क :–

निवासी अंकेक्षण योजना, मण्डी समिति सोलन में कार्यरत अनुभाग अधिकारी तथा लेखा परीक्षक का वित्त वर्ष 2011–12 का अंकेक्षण शुल्क ₹1088087/– आंका गया, जिसे मण्डी समिति द्वारा बैंक ड्राफ्ट संख्या 3170963 दिनांक 5.9.2012 द्वारा निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, षिमला–171009 को प्रेषित कर दिया गया है।

4 वित्तीय स्थिति एवं विष्लेषण :–

(क) मण्डी समिति सोलन की वर्ष 2011–12 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत ब्यौरा इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ संलग्न परिषिष्ट "क" तथा मण्डी समिति के द्वारा तैयार किए वर्ष 2011–12 के तुलन पत्र (परिषिष्ट ज) पर अनुलग्नों सहित दिया गया है:–

1.4.2011 को प्रारम्भिक शेष	₹60889746.01
एक्सीस बैक सोलन के बचत खाता संख्या 910010018216090 में दिनांक 1.4.11 को जमा राषि (विवरण निम्न वर्णित नोट–1 में दिया गया है)	₹4473
वर्ष के दौरान प्राप्तियॉ (विवरण परिषिष्ट "ख" पर)	53127374.67
कुल योग	**₹114021593.68**
वर्ष के दौरान भुगतान (विवरण परिशिष्ट ""ग" पर)	₹25186830.00
31.3.2012 को अन्तिम षेष	₹88834763.68

अन्तिम शेष का विस्तृत ब्यौरा निम्न प्रकार से है :–

(1)	विभिन्न बैकों के बचत खातों में जमा राशि (विवरण परिशिष्ट ''क)	₹3913754.68
(2)	सावधि जमा में निवेश (विवरण परिशिष्ट "ङ")	₹83139357.00
(3)	हस्तगत शेष	₹463216.00
(4)	स्थाई अग्रिम	₹500.00
(5)	Market Fees/Rent Recoverable (Bounced Cheques परिषिष्ट "क" एवं SCHEDULE-8 i.e Currents Assets of Balance Sheet for the year 2011-12 Finalized by Chartered Accountants	1317936.00
	कुल योग	**₹88834763.68**

नोट–1 एक्सीस बैंक के प्रारम्भिक षेष ₹4473/–के बारे में:–

एक्सीस बैंक के बचत खाता संख्या 910010018216090 में दिनांक 31.3.2011 को ₹3969342/–षेष थी जिसमें से दिनांक 31.3.2011 को ₹3964869/–को साविध जमा में निवेष कर दिया गया था तथ मात्र ₹4473/–एक्सीस बैक के बचत खाते में जमा थी। सावधि जमा में निवेषित राषि तो गत अंकेक्षण प्रतिवेदन की सावधि जमा विवरणी के (क्र0सं0 6 पर ₹1571869/–तथा क्र0सं0 9 पर ₹239300/–)दर्षाई गई थी परन्तु मण्डी समिति द्वारा उपरोक्त बचत खाते में निवेषित ₹4473/–को गत वर्ष की वित्तीय स्थिति में न दर्षाया गया जिसे अब दिनांक 1.4.2011 को अलग से दर्षाया गया है।

नोट–2 वित वर्ष 2011–12 के तुलन पत्र का प्रस्तुतिकरणः–

सचिव मण्डी समिति, सोलन द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2011–12 के तुलन पत्र को परिषिष्ट "ज" पर संलग्न किया गया है जिसके प्रारम्भिक षेष वर्ष 2010–11 के तुलन पत्र से लिए गए है, जिसकी छाया प्रति अब परिषिष्ट "ज–1" पर संलग्न की गई है।

नोट–3 बैंक समाधान विवरणीकाः–

मण्डी समिति सोलन की विभिन्न बैंक खातों की दिनांक 31.3.12 को बैंक समाधान विवरणीका का विवरण परिषिष्ट ("ध–1" से "घ–3") में दिया गया है।

नोट–4 निवेषः–

मण्डी समिति सोलन द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि में सावधि जमा योजना निवेषित राषियों का विवरण परिषिष्ट "ङ" पर दिया गया है।

5 **Market Fees** तथा **Rent** की **Recovery** इत्यादि से सम्बन्धित ₹1317936/–के **Bounced Cheques** की न्यायलय के माध्यम से वसूली करने बारेः–

अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ संलग्न परिषिष्ट "क" तथा परिषिष्ट–"ज" में वर्णित मण्डी समिति के वर्ष 2011–12 के तुलन पत्र के "Current Assets" से सम्बन्धित Schedule-8 में प्रदर्षित "Market Fees" तथा Rent की Recovery इत्यादि से सम्बन्धित ₹1317936/–के "Bounced Cheques" मण्डी समिति को प्राप्त हुए थे जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

Name of the Trader	Sr.No.	Cheque No.	Date	Amount (₹)	Remarks
M/S Gramin Krishak Co-operative Socity Shop No.5	1	873783	31-3-2011	300000	Market Fee
	2	873782	31-3-2011	272000	Market Fee
M/S Rajeev Kumar Sanjeev Kumar Shop No. 29	3	862737	31-3-11	48916	Market Fee

	4	862736	31-3-2011	200000	Market Fee
	5	862734	31-3-2011	250000	Market Fee
	6	862735	31-3-2011	200000	Market Fee
M/S Sanjeev Kumar Shop No. 19 T.M. Parwanoo	7	520600	3-8-2010	47020	Rent
			Total	**1317930**	

हिमाचल प्रदेष कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) विधकय 2005 की धारा 40 (4) की षर्तों के अनुसार यदि आवेदक/कारोबारी हिमाचल प्रदेष कृषि एवं औद्यानिकीय अधिनियम नियम व उपनियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लघन करता है तो उस अवस्था में उसे आवष्यक नोटिस जारी कर उसके पंजीकरण को निरस्त किये जाने का प्रावधान है परन्तु मण्डी समिति द्वारा "Bounced Cheques" से सम्बन्धित मामलों को न्यायालय के समक्ष लाने के बावजूद भी न तो सम्बन्धित कारोबारियों के पंजीकरण को रद्द किया गया और न ही इन्हें कारोबार करने से रोका गया जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। इसके अतिरिक्त बकाया राषि की वसूली न्यायालय के माध्यम से करने के अतिरिक्त अधिनियम की धारा 45 (3) के अन्तर्गत कार्रवाई करने पर विचार किया जाए तथा वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6 बचत खातों में आवष्यकता से अधिक जमा करने बारेः—

मण्डी समिति द्वारा प्रस्तुत लेखों की जॉच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.12 को जोगिन्द्रा केन्द्रीय सहकारी बैक सीमित, परवाणू के बचत खाता संख्या 716 में ₹997846.79 तथा जोगिन्द्रा सहकारी बैक सीमित नालागढ़ के बचत खाता संख्या 1332 में ₹376161/— जमा थी। बचत खातों पर ब्याज की दर सावधि निवेष पर प्राप्त होने वाले ब्याज दर की तुलना में बहुत की कम होती है जिस कारण मण्डी समिति को ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली आय की हानि हो रही है जबकि उप मण्डी परवाणू तथा नालागढ़ में इन बचत खातों से नियमित दैनिक खर्चो हेतु किसी भी राषि की निकासी न करके सभी खर्चो का भुगतान मुख्यालय स्त्तर पर अर्थात मण्डी समिति सोलन द्वारा ही किया जाता है। अतः संस्था स्त्तर पर आवष्यक जांच करके उपरोक्त बचत खातों से अधिक से अधिक राषि को साविध जमा में निवेष करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ताकि ब्याज के रूप में मण्डी समिति को ही रही वित्तीय हानि को रोका जा सके।

7 सावधि जमा पर ₹16904/–की ब्याज के रूप में कम प्राप्तिः–

मण्डी समिति सोलन द्वारा सावधि जमा योजना में निवेषित राषियों में से वर्ष 2010–11 के दौरान परिपक्वता हुई सावधि जमाओं के अंकेक्षण पर पाया गया कि मण्डी समिति को पंजाब नैषनल बैक, बाई पास सोलन द्वारा सावधि जमा पर ₹16907/–का कम ब्याज दिया गया है जिसका विवरण इस प्राकर से हैः–

Sr. No.	**Name of the Bank**	**F.D.A/C Date**	**Amount**	**Rate of Int.**	**Duration**	**Amount due**	**Credit Actually given by the Bank**	**Less Credit of Interest**
1	Punjab National Bank] Bye Pass Solan	TLE172228 5-12-2009	2578735	6.25	6 Months	2659950	2650936	9014
2	Punjab National Bank, Bye Pass Solan	PR00016476 7-8-2009	749046	7.50	1 Year	806824	798934	7890

अतः संस्था स्तर पर आवष्यक जांच करके पंजाब नैषनल बैक बाई पास सोलन से इस मामले को उठा कर स्थिति स्पष्ट करवाई जाए तथा ₹16904/–की वसूली करके वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 गत वर्ष की तुलना में मण्डी समिति की आय में ₹6606773/–की कमी पाया जानाः–

मण्डी समिति की वर्ष 2011–12 की आय विवरणी की जांच/अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वर्ष 2011–12 मे ंमण्डी समिति को विभिन्न स्त्रोतों से ₹53127374/–की आय की प्राप्ति हुई है जबकि गत वर्ष में मण्डी समिति की कुल आय ₹59682224.45 थी। गत वर्ष की तुलना में मण्डी समिति की आय में ₹6554849.78 की कमी अर्थात आय में लगभग 11**%** की कमी पाई गई है जबकि कृषि से सम्बन्धित सभी वस्तुओं के मूल्य में समयानुसार वृद्धि होने के फलस्वरूप तथा गत वर्ष की तुलना में लाईसैन्सधारियों की संख्या में वृद्धि होने के फलस्वरूप मण्डी की आय में वृद्धि दर्ज की जानी वांन्छित थी परन्तु मण्डी समिति को विभिन्न कृषि

वस्तुओं पर प्राप्त होने वाले मण्डी षुल्क में निम्न विवरणानुसार स्तम्भ प्रतिषतता में गत वर्ष की तुलना में की कमी पाई गई है। इस प्रकार मण्डी समिति की आय में वर्ष प्रतिवर्ष वृद्धि की बजाय कमी होना गम्भीर मामला है। अतः इस मामले की संस्था स्तर पर जांच करके मण्डी समिति की आय वृद्धि हेतु उचित पग उठाये जाने सुनिष्चित किए जाएं तथा आय की कमी हेतु सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी सूचित किया जाए।

Sr. No.	**Head of Income**	**Year Wise Income**		**%of reduction in income**
		2010-11	2011-12	
1	Licenses Fee/Registration fee	52980	32442	38.77%
2	Licenses renewal fee	42290	39559	6.46%
3	Sale of Forms	76681	52243	31.87%
4	Compounding Fee of Fruits	1256674	478523	61.92%
5	Meat/A.H. Produce	156380	62634	59.95%
6	Fruits Market Fee	12131656	8165767	32.69%
7	Vegetables M.F.	7148815	6330144	11.45%
8	Income form Rest House	458892	398927	13.06%

9 लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत बिलों में की गई ₹75442/–की कटौतियोंः–

मण्डी समिति सोलन द्वारा अंकेक्षण अवधि 2011–12 में प्रस्तुत बिलों मे से ंपूर्व अंकेक्षण के समय ₹75442/–की कटौतियॉ विभिन्न बिलों की गई है। अंकेक्षण द्वारा उपरोक्त दर्षाई गई कटौतियों के अतिरिक्त विभिन्न बिलों को पारित करने से पूर्व व उनमें पाई गई अनियमितताओं बारे सचिव महोदय को अवगत करवा कर आवष्यक सुधार करने के उपरान्त ही बिलों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने को कहा गया जिससे संस्था के लाखों रूपये के अपव्यय को रोककर मण्डी समिति को होने वाली वित्तीय हानि से रोका गया है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण द्वारा विभिन्न वित्तीय मामलो में समिति के अधिकारियों व कर्मचारियों को समय–समय पर सही दिषा–निर्देष/मार्गदर्षन दिया गया है।

10 **Loans & Advances** :–

(क) डिपोजिट वर्कस के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना तथा डिपोजिट वर्कस की परिषिष्ट **"च"** में दर्षाई गई असमायोजित राषि एवं तुलन पत्र के **"SCHEDULE-7"** में उक्त षीर्ष के अन्तर्गत दर्षाई गई असमायोजित राषि के आंकड़ों में भिन्नता का पाया जानाः–

मण्डी समिति सोलन द्वारा प्रस्तुत लेखों के अनुसार दिनांक 31.3.2012 को परिषिष्ट "च" के अनुसार ₹32092825/–हिमाचल प्रदेष विपणन बोर्ड के पास डिपोजिट वर्कस के रूप में समायोजन हेतु षेष है जिस हेतु विपणन बोर्ड से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने षेष है जिसे षीघ्र अतिषीघ्र प्राप्त करके अंकेक्षण को प्रस्तुत किया जाए तथा इस राषि के समर्थन में विपणन बोर्ड द्वारा जारी मिलान पत्र भी प्रस्तुत किया जाए। उपरोक्त असमायोजित राषि के विपरीत मण्डी समिति सोलन के वर्ष 2011–12 के तुलन पत्र के SCHEDULE-7 के अनुसार उक्त षीर्ष में ₹33364561/–दर्षाई गई है। इस प्रकरण में अंकेक्षण द्वारा जांच करके पर पाया गया कि अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूची के अनुसार दिनांक 1.4.11 को ₹31628015/– हिमाचल प्रदेष विपणन बोर्ड के पास डिपोजिट वर्कस के रूप में षेष दर्षाई गई थी जबकि गत तुलन पत्र (Balance Sheet) में दिनांक 1.4.11 को डिपोजिट वर्कस के रूप में ₹32899751/– का प्रारम्भिक षेष दर्षाया गया है। वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान मण्डी समिति द्वारा ₹464810/– हिमाचल प्रदेष विपणन बोर्ड को डिपोजिट वर्क्स हेतु प्रदान की गई तथा तदानुसार मण्डी समिति द्वारा प्रस्तुत की गई सूची तथा तुलन पत्र के अनुसार अन्तिम षेष निकाला गया है जिसे निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया है। अतः संस्था स्तर विस्तृत जांच करके भिन्नता के कारणों का पता लगाकर आंकड़ों का मिलान करने हेतु अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाए।

हि0प्र0 विपणन बोर्ड, षिमला के डिपोजिट वर्कस की षेष राषि में भिन्नता का विवरणः–

	मण्डी समिति द्वारा प्रस्तुत सूची के अनुसार	मण्डी समिति द्वारा प्रस्तत तुलन पत्र के अनुसार
दिनांक 1.4.2011 को प्रारम्भिक षेष	₹31628015	₹32899751
वर्ष के दौरान हि0प्र0 विपणन बोर्ड को भुगतान	₹464810	₹464810
दिनांक 31.3.2012 को अन्तिम षेष	₹32092825	₹33364561

(ख) अधिषाषी अभियन्ता IPH विभाग के नाम ₹347700/–का असमायोजित दर्षाया जानाः–

अधिषाषी अभियन्ता सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग सोलन मण्डल सोलन को बिल संख्या 184 दिनांक 11.7.2011 के अन्तर्गत सचिव मण्डी समिति सोलन द्वारा ₹347700/– का भुगतान टर्मिनल मण्डी परवाणू में टूयूब वेल लगवाने हेतु अग्रिम राषि के रूप में किया गया परन्तु न तो मण्डी समिति द्वारा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग से ₹347700/– के व्यय से सम्बन्धित आवष्यक अभिलेख प्राप्त किए गए तथा न ही उक्त राषि के उपयोगिता प्रमाण पत्र ही प्राप्त किए गए। अतः सिंचाई एव जन स्वास्थ्य विभाग सोलन को प्रदान की गई अग्रिम राषि बारे गहन जांच करके यह सुनिष्चित किया जाए कि IPH विभाग द्वारा उनकों प्रदान की गई अग्रिम राषि का उपयोग उसी कार्य हेतु कर दिया गया है जिस हेतु अग्रिम राषि प्रदान की गई थी अथवा नही? इसके अतिरिक्त सम्बन्धित विभाग से इस आषय का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करके अग्रिम राषि का समायोजन किया जाना सुनिष्चित किया जाए।

(ग) आयकर विभाग के नाम ₹13794175/–का असमायेजित दर्षाया जानाः–

मण्डी समिति के वर्ष 2011–12 के तुलन पत्र की अनूसूची–7 में आयकर विभाग को दी गई ₹13794175/– असमायोजित दर्षाई गई है। इस प्रकरण में अंकेक्षण द्वारा जांच करने पर पाया गया कि यह राषि समय–समय पर आयकर विभाग द्वारा मण्डी समिति की आय पर लगाये गये आयकर के भुगतान से सम्बन्धित है। उक्त राषि में मण्डी समिति सोलन द्वारा देय तिथि तक आयकर की रिर्टन दाखिल न करने के कारण भुगतान की गई जुर्माने की ₹3240779/–भी सम्मिलित थी जिसे आयकर आयुक्त के समक्ष अपील के मध्यनजर वर्ष

2011–12 के दौरान मण्डी समििति को वापिस (Refund) भी कर दिया गया था। आयकर विभाग को भुगतान की गई राषि का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र0सं0	वित्त वर्ष	आयकर की अदा की गई राषि	आयकर विभाग द्वारा वापिस की गई राषि (Refund)	आयकर विभाग को अदा की गई राषि का संचित योग
1	2006–07	4410343	–	4410343
2	2007–08	–	–	4410343
3	2008–09	4830550	–	9240893
4	2009–10	7794061	–	17034954
5	2010–11	–	–	17034954
6	2011–12	–	(–)3240779	13794175

चूकि आयकर अधिनियम की धारा 10 (26–एएबी) के अन्तर्गत विपणन समितियों/बोर्ड की आय को दिनांक 1.4.2009 से कर मुक्त कर दिया गया है। अतः दिनांक 1.4.2009 के उपरान्त मण्डी समिति द्वारा कोई भी आयकर अदा नहीं किया गया है तथा उक्त तिथि से पूर्व की आय पर किये गये भुगतान की वसूली हेतु आयकर कमिष्नर के समक्ष अपील की गई थी जिसे देखते हुए ₹13794175/–का आयकर अग्रिम मानकर अनूसूची–7 में दर्षाया गया है। अतः उक्त प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

11 विद्युत मीटरों को कटवाने के उपरान्त भी प्रतिभूति की ₹23800/– प्राप्त न करनाः–

मण्डी समिति द्वारा उपलब्ध करवाई गई विवरणी के अनुसार दिनांक 31.3.2012 को बिजली, पानी और टेलीफोन की प्रतिभूति की ₹142528.85 प्राप्त होनी षेष है (जिसका विवरण परिषिष्ट "छ" पर संलग्न है) जिसमें से बिजली मीटर संख्या एस0बी0टी0–4 तथा एस0बी0टी0–5 मण्डी समिति द्वारा अस्थाई रूप से नीलामी मंच नं0 2 में लगवाये गये थे तथा जिन्हें वित वर्ष 2011–12 मे ंबिजली बोर्ड से कटवा दिया गया है परन्तु उक्त बिजली के मीटरों को लगवाने के समय जमा करवाई गई प्रतिभूति राषि जिसका विवरण निम्नानुसार है, प्राप्त की जानी षेष है जिस बारे सम्बन्धित विभाग से पत्राचार कर ₹23800/–को प्राप्त करके

मण्डी समिति खाते में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण में यह भी पाया गया कि प्रतिभूति की उक्त राषि को मण्डी समिति के तुलन पत्र में नहीं दर्षाया गया है जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं।

क्र0सं0	खाता सं0	रसीद सं0	दिनांक	प्रतिभूति राषि
1	एस0बी0टी0–4	0148478	11.5.2011	16150
2	एस0बी0टी0–5	0148579	11.5.2011	7650
			योग	₹23800

12 मण्डी समिति द्वारा विभिन्न दुकानों व गोदामों की देय प्रतिभूति राषि में ₹3071589.50 का भारी अन्तर पाया गया :–

मण्डी समिति सोलन द्वारा परिषिष्ट–"ज" पर के दर्षाए गए वर्ष 2011–2012 की तुलन पत्र (Balance Sheet) में विभिन्न दुकानों/गोदामों की देय प्रतिभूति (Security Payable) में ₹7153890.50 दर्षाई गई है जबकि परिषिष्ट–"झ" में अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई विवरणिकाओं के अनुसार देय प्रतिभूति की ₹40,82,301/– में दर्षाई गई है। अतः तुलन पत्र तथा उक्त परिकषिष्ट "झ" में देय प्रतिभूति में ₹3071589.50 का भारी अन्तर पाया गया जिसका षीध्र मिलान करके देय प्रतिभूति की सही राषि का आंकलन करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिष्चित किया जाये।

13 तुलन पत्र के "Capital Work in Progress" षीर्ष में असमायोजित ₹17263344/–का षेष दर्षाया जानाः–

मण्डी समिति सोलन के तुलन पत्र के "Capital Work in Progress" षीर्ष के अन्तर्गत ₹17263344/– दर्षाई गई है जिसका विवरण परिषिष्ट "झ–1" में भी दिया गया है। अतः इस राषि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करके तथा अग्रिम राषि का समायोजन करनें के उपरान्त अनुपालना अंकेक्षण के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जानी सुनिष्चित की जाए।

14 हिमाचल प्रदेष विपणन बोर्ड को देय ऋण की षेष ₹3190119/–के बारे में:–

मण्डी समिति द्वारा हिमाचल प्रदेष राज्य विपणन बोर्ड षिमला से वित वर्ष 2008–09 के दौरान ₹10000000/– का ऋण लिया गया था जिसमें से दिनांक 31.3.2012 को ₹3190119/–का ऋण षेष था। अतः विपणन बोर्ड से इस राषि का मिलान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिष्चित किया जाए। ऋण का विवरण परिषिष्ट "ञ" पर संलग्न है।

15 टर्मिनल मण्डी परवाणू में पट्टे पर आंबटित दुकानो से पट्टा की वसूली योग्य ₹3796440/–षेष पाया जाना तथा वसूली योग्य उक्त राषि को तुलन पत्र में न दर्षाया जानाः–

मण्डी समिति सोलन द्वारा टर्मिनल मण्डी परवाणु में विभिन्न कारोबारियों को पट्टे पर दुकाने आंबटित की गई है। अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूची (परिषिष्ट "त") के अनुसार दिनांक 31.3.2012 को ₹3796440/–विभिन्न पट्टाधारियों से वसूली योग्य षेष है। मण्डी समिति द्वारा उक्त वसूली योग्य को मुख्यतः निम्नलिखित तीन वर्गो में विभाजित किया गया हैः–

क्र0सं0	विवरण	राशि
1	ऐसे पट्टाधारियों से प्राप्त होने वाली पट्टा राषि जो मण्डी समिति को नियमानुसार समय–2 पर भुगतान कर रहे है।	258942
2	ऐसे मामलों से प्राप्त होने वाली राषि जिनके मामले न्यायालय द्वारा निर्णीत किये जा चुके है (विवरण परिषिष्ट "थ" में दिया गया है)	872891
3	ऐसे मामले जिसमें मण्डी समिति द्वारा नियमानुसार निर्धारित समय में वसूली हेतु आवष्यक पग नहीं उठाए गए है।	2664607
		₹3796440

उपरोक्त राषि की वसूली हिमाचल प्रदेष कृषि उपज विपणन समिति उप नियम 2007 के नियम 62(2)(xiv) के प्रावधानों के अपनुरूप की जानी वांन्छित थी जिसके अनुसार निम्नानुसार पट्टा राषि को वसूल किए जाने के प्रावधान हैः–

(i) आरक्षित मूल्य (Reserve Price) का 10 प्रतिषत आवेदन के साथ प्रतिभूति स्वरूप

(ii) बोली राषि (Bid Money)/आंबटन राषि का 40 प्रतिषत आंबटन के समय या कब्जा लेते समय, दोनों में जो भी पहले हो।

(iii) षेष 60 प्रतिषत आंबटन की तिथि के 30 दिनों के भीतर

परन्तु मण्डी समिति न केवल उपरोक्त प्रावधानों द्वारा वसूली करने में कोताही दर्षाई गई है अपितु उपरोक्त वसूली योग्य राषि के मामलों में से कुछ पट्टाधारियों के मामले न्यायालय द्वारा निर्णीत किए जाने के पश्चात भी बकाया ₹872891/–की वसूली नहीं की गई हैं। अतः उपरोक्त प्रावधानानुसार आंबटन राषि को प्राप्त न किये जाने बारे तथा न्यायालय द्वारा निर्णीत मामलों की वसूली न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये एवं भविष्य में आंबटन राषि की समयबद्ध वसूली सुनिष्चित की जाये।

16 दुकानों के किराये की ₹2183425/–वसूली हेतु षेष पाया जाना तथा दुकानों के किराये के रूप में परिषिष्ट "द" में दर्षाई गई की राषि तथा तुलन–पत्र के "SCHEDULE-8" के में दर्षाई गई राषि में भिन्नता का पाया जानाः–

मण्डी समिति द्वारा प्रस्तुत बकाया किराया सूची के अनुसार दिनांक 31.3.12 को परिषिष्ट "द" पर दुकानों के किराये की ₹2183425/–की वसूली षेष दर्षाई गई है जबकि तुलन पत्र अनुसूची–8 में यह ₹2063425/–दर्षाई गई है। इस प्रकरण की अंकेक्षण की जांच करने पर पाया गया तुलन–पत्र में योग में त्रुटि के कारण यह ₹1,20,000/– कम दर्षाई गई जिसकी आवष्यक सुधार आगामी अंकेक्षण के समय सत्यापनार्थ प्रस्तुत की जानी सुनिष्चित की जाए।

17 मण्डी समिति द्वारा कारोबारियों के लेखों/फार्म "ओ"की विस्तृत जांच न करना तथा अनिल कुमार साहनी से मण्डी षुल्क/ब्याज की वसूली योग्य ₹44495/–का षेष पाया जानाः–

मण्डी समिति सोलन के वर्ष 2008–09 व 2009–10 के मण्डी षुल्क के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि हिमाचल प्रदेष कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियम) अधिनियम 2005 की धारा 60 के अन्तर्गत मण्डी समिति द्वारा न तो पंजीकृत आढ़तियों/कारोबारियों के वार्षिक लेखे आवष्यक जॉच एवं मण्डी षुल्क निर्धारण हेतु प्राप्त किये जा रहे है और न ही आढ़तियों/कारोबारियों से प्राप्त "ओ" फार्म में दर्षाये जा रहे है। मण्डी समिति द्वारा केवल दैनिक क्रय विक्रय की दरों/राषि की जॉच करके ही मण्डी षुल्क

प्राप्त किया जा रहा है जिस कारण मण्डी समिति को नियमानुसार प्राप्त होने वाली पूर्ण राषि की प्राप्ति नहीं हो रही है। उदाहरणतः मण्डी समिति द्वारा मै0 अनिल कुमार साहनी दुकान संख्या 12 मण्डी समिति सोलन से निम्न विवरणानुसार वर्ष 2008–09 व 2009–10 में ₹8899/–की कम वसूली की गई जिसकी अब उक्त अधिनियम की धारा 45 (3) के अन्तर्गत जुर्माना राषि सहित कुल ₹44495/–की वसूली की जानी अपेक्षित है।

फार्म "ओ"	देय मण्डी षुल्क	मण्डी षुल्क जो वसूल किया गया	मण्डी षुल्क की कम वसूली	धारा 45 (3) के अन्तर्गत देय दण्ड राषि	कुल वसूल योग्य राषि
1/106	262	षून्य	262	1310	1310
6/106	193	163	30	150	150
41/106	682	582	100	500	500
42/106	503	477	26	130	130
1/209 से 10/2009	8481	षून्य	8481	42405	42405
	योग		₹8899	₹44495	₹44495

अतः उपरोक्त राषि की वसूली करके एवं सभी कारोबारियों के लेखों/फार्म "ओ" की जांच करके वस्तुस्थिति एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

18 मण्डी षुल्क की ₹8720/– की कम वसूली करना :–

मण्डी समिति को वर्ष 2008–09 व 2009–10 मे प्राप्त हुऐ मण्डी षुल्क की जांच करने पर पाया कि निम्न कारोबारियों/कमीषन एजेन्टों से उनके नाम के आगे दर्षाई गई अवधि में देय मण्डी षुल्क की कम वसूली की गई जिसे अब अधिनियम की धारा 45 के प्रावधान के अनुसार जुर्माना राषि सहित वसूल किया जाना सुनिष्चित किया जाए।

विवरण

क्र0सं0	कारोबारी / कमीषन एजेन्ट का नाम व पता	अवधि	देय राषि	प्राप्त की गई राषि	षेष	जुर्माना राषि	कुल वसूली योग्य राषि
1	मै0 सोलन फ्रूट क0 सब्जी मण्डी सोलन	1.4.08 से 30.4.08	2778	2278	500	2000	2500
2	मै0 भगत राम साहनी दुकान नं0 38 सब्जी मण्डी सोलन	1.4.09 से 30.4.09	1244	———	1244	4976	6220
						योग	₹8720

19 मण्डी षुल्क के रूप में देय ₹18010 / —के प्रमाणिक साक्ष्य न करने बारे :—

वित वर्ष 2008—09 व 2009—10 के मण्डी षुल्क की जांच करने पर पाया गया कि मै0 षिवदूत्तीमल आसाराम, दुकान नम्बर 14 मुख्य मण्डी सोलन के फार्म "ओ" संख्या 02 / 340 के अनुसार 37650 किलोग्राम आलू की खरीद ₹360227 / —में जिला कुल्लू के विभिन्न लाईसैन्सधारियों से क्रय की गई दर्षाई गई है परन्तु इस आषय का न तो कोई साक्ष्य "ओ" फार्म के साथ संलग्न किया गया है कि उक्त खरीद पर देय मण्डी षुल्क का भुगतान मण्डी समिति कुल्लू को किया गया और न ही अंकेक्षण के मांगे जाने पर ही प्रस्तुत किया गया जिसे षीघ्र अंकेक्षण को प्रस्तुत किया जाना सुनिष्चित किया जाए अन्यथा हिमाचल प्रदेष कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम, 2005 की धारा 45 (3) के प्रावधानानुसार उक्त खरीद पर देय षुल्क ₹18010 / —का मण्डी षुल्क वसूल करके अंकेक्षण को प्रस्तुत किया जाना सुनिष्चित किया जाये।

20 विभिन्न फार्मों से "आर" तथा "ओ" बुक्स की विक्रय मूल्य की राषि को जमा करवाने से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना तथा पूर्ण राषि सम्बन्धित कोष में जमा न करना:—

(क) मण्डी समिति सोलन के फार्म "आर" के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सचिव मण्डी समिति सोलन द्वारा कार्यालय आदेष संख्या ए/एस एस सी–1–3/83 भाग–5–2463 दिनांक 8.7.2009 द्वारा "आर" बुक (विक्रेता द्वारा जारी किये जाने वाला विक्रय पत्र जोकि हिमाचल प्रदेष कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (सामान्य) नियम, 2006 के नियम 30 (17) द्वारा वांन्छित है) का विक्रय मूल्य ₹35/–प्रति बुक निर्धारित किया गया है तथा मण्डी समिति के केन्द्रीय भण्डारण (Central Store) से एक सौ (100) "आर" बुक्स का निर्गमन (क्र0सं0 60 से 160) के अनुसार दिनांक 4.11.2009 को प्रभारी मण्डी समिति सोलन को किया गया परन्तु इन "आर" फार्मों/बुकों से सम्बन्धित विक्रय अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किए गए जिसे अंकेक्षण के समक्ष प्राप्त राषि के सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाए अन्यथा ₹3500/–(100X35) की वसूली सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से करने के उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) उपरोक्त के अतिरिक्त कार्यालय आदेष संख्या 1–3/83 भाग–5–648 दिनांक 23.2.2010 द्वारा "ओ" फार्म/बुक का विक्रय मूल्य ₹45/–प्रति बुक निर्धारित किया गया है परन्तु निम्न वर्णित मामलों में जारी बुकों के विक्रय से प्राप्त होने वाली पूर्ण राषि मण्डी समिति के खातो में जमा नहीं करवाई गई है। अतः ₹700/–को सम्बन्धित कोष मे ंजमा करवाने के उपरान्त अंकेक्षण को सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाए।

क्र0सं0	विवरण	समय अवधि	कम वसूली की राषि	टिप्पणी
1	बुक नं0 311 फार्म "ओ"	16.12.2009	40	षेष वसूली
2	22 प्रतियॉ फार्म "ओ" का विक्रय ₹45/–के स्थान पर ₹40 प्रति पर किया गया	23.2.2010 से 31.3.2010	110	कम वसूली
3	56 प्रतियॉ फार्म "ओ" ₹45 प्रति के स्थान पर ₹40 पर किया गया	24.9.2010 से 13.8.2010	280	कम वसूली
4	6 प्रतियॉ फार्म "बी" ₹45	6.5.2010 से 26.7.2010	270	षेष वसूली

प्रति

योग	₹700

उपरोक्त वर्णित ₹3500/– के अभिलेख प्रस्तुत करने तथा ₹700/– की वसूली के अतिरिक्त यह भी सुनिष्चित किया जाये कि मुख्य भण्डारण से जारी स्टॉक वस्तुओं को अन्य सम्बन्धित उप मण्डी समितियों इत्यादि के रजिस्टर मे ंलेने के उपरान्त ही बिक्री हेतु जारी किया जाये।

21 उप मण्डी नालागढ़ के अन्तर्गत विभिन्न व्यापारियों से मण्डी षुल्क के रूप में ₹26868/– वसूली हेतु षेष पाई जानाः–

उप मण्डी नालागढ़ की वर्ष 2009–10 की मण्डी षुल्क की नस्तियों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न वर्णित कारोबारियों/आढ़तियों द्वारा देय मण्डी षुल्क का पूर्ण भुगतान न करके केवल आंषिक भुगतान ही किया गया है जिस पर हिमाचल प्रदेष कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (सामान्य)नियम 2006 के नियम 37 (8) के अन्तर्गत देय मण्डी षुल्क के पॉच गुणा तक जुर्माना राषि वसूल किये जाने का प्रावधान है। अतः संस्था स्त्तर पर आवष्यक जांच करके निम्न विवरणानुसार ₹26868/–की वसूली सम्बन्धित कारोबारियो से प्राप्त करके मण्डी समिति खाते में जमा करवाने के उपरान्त जुर्माना राषि वसूलने हेतु भी आवष्यक पग उठाए जाए तथा अनुपालना अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत की जाए।

विवरण

क्र0सं0	कारोबारी का नाम	"एम" / "ओ" फार्म सं0	देय मण्डी षुल्क	प्राप्त किया गया मण्डी षुल्क	मण्डी षुल्क की षेष वसूली	जुर्माना राषि	कुल वसूली योग्य राषि
1	मै0 जगदीष कुमार एण्ड सन्ज दुकान नं0 3 आर एस आर (नालागढ़)	28727 से 28729 / 576	1985	1865	120	600	720
2	मै0 जगदीष राम षर्मा, नालागढ़	28 / 1050	775	षून्य	775	3875	4650
		29, 30 / 1050	12482	10482	2000	10000	12000
3	मै0 मोहन चन्द सन्जए नालागढ़	13 / 1459	1370	षून्य	1370	6850	8220
4	मै0 विषाल परचून लि0 बद्दी	03 / 56	968	755	213	1065	1278
						योग	₹26868

22 **हि0प्र0 कृषि उपज एवं विपणन (विकास एवं नियमन) अधिनियम 2005 की धारा 75 के अनुसार कम्पाऊडिंग षुल्क की वसूली न करनाः–**

हिमाचल प्रदेष कृषि उपज एवं विपणन (विकास एवं नियमन) अधिनियम 2005 की धारा 75 के अनुसार कम्पाऊडिंग फीस की वसूली एक प्रतिषत मण्डी षुल्क के अतिरिक्त 5 प्रतिषत जुर्माना राषि सहित वसूले जाने का प्रावधान है तथा सचिव मण्डी समिति सोलन द्वारा कार्यालय आदेष संख्या ए / एस एम सी–3–124 / 96–961 दिनांक 19.3.2010 द्वारा भी प्रभारी चैक पोस्ट परवाणू को निर्देष दिये गये है कि कम्पाऊडिंग षुल्क की वसूली तदानुसार ही की

जाए। प्रभारी चैक पोस्ट परवाणू द्वारा एकत्र किये गये कम्पाऊडिंग षुल्क की जांच से पाया गया कि प्रभारी द्वारा सेब की प्रति पेटी (Box) तथा आलू की प्रति बोरी पर मात्र ₹2 प्रति पेटी व बोरी के हिसाब से कम्पाऊडिंग षुल्क एकत्र किया जा रहा है और इसके अतिरिक्त कॅपाऊडिंग फीस की वसूली नहीं की जा रही है जिससे मण्डी समिति सोलन को कम्पाउडिंग षुल्क के रूप में प्राप्त होने वाले आय मे भारी हानि हो रही है। इस प्रकार कम एकत्र की गई कम्पाउडिंग षुल्क राषि का विवरण परिषिष्ट "ध" पर संलग्न है। अतः तुरन्त प्रभाव से कम्पाउडिंग षुल्क को नियमानुसार वसूली करने के आदेष जारी करने के साथ–साथ मण्डी समिति को हुई लाखों रूप्ये की हानि हेतु भी सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाये तथा मण्डी समीति को हुई हानि की वसूली भी की जानी सुनिष्चित की जाये।

23 मण्डी समिति द्वारा दुकानों के किराये की विलम्ब से वसूली करने पर "Penal Rent" की वसूली न करनाः–

मण्डी समिति द्वारा विभिन्न दुकानों, गोदामों व कार्यालय के किराये से प्राप्त आय की जांच करने पर पाया गया कि मण्डी समिति द्वारा दुकानों, गोदामों व कार्यालय आदि को न तो किराये पर आंबटित करने के समय किये गये इकरारनामें की षतों के अनुसार और न ही आंबंटन नीति के अनुसार किराये को निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त किया जा रहा है और न ही निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त होने वाले किराये को आवष्यक जुर्माने सहित वसूल किया जा रहा है जैसा कि परिषिष्ट "न" पर संलग्न सूची से स्पष्ट होता है। अतः भविष्य में समय पर किराए की वसूली सुनिष्चित की जाए तथा अपरिहार्य कारणों के फलस्वरूप समय पर किराये की राषि की वसूली न होने की स्थिति में विलम्ब से की गई राषि को आंबटन पत्र व आबंटन निति की षर्तो के अनुसार जुर्माना भाड़ा (Penal Rent) सहित वसूल किया जाना सुनिष्चित किया जाये।

24 अदत्त (Outstanding) मण्डी षुल्क की सूची प्रस्तुत न करना :–

मण्डी समिति सोलन द्वारा दिनांक 31.3.2012 को अदत्त मण्डी षुल्क की सूची अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं की गई है, जिसकी अनुपस्थिति में अदत मण्डी षुल्क का पता नहीं लगाया जा सका। अतः मण्डी समिति सोलन तथा अन्य उप मण्डी समितियों की अदत मण्डी षुल्क सूची अंकेक्षण को प्रस्तुत की जानी सुनिष्चित की जाये।

25 कार्यालय वाहन संख्या एच0पी0.–12 ए–0006 के अनुचित प्रयोग बारेः–

मण्डी समिति सोलन के कार्यालय वाहन संख्या एच0पी0–12 ए–0006 की लॉग बुक के अंकेक्षण पर पाया गया कि कार्यालय वाहन का उपयोग हिमाचल प्रदेष कृषि एंव औद्योनिकीय उपज विपणन (विकास एव नियमन) अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार मण्डी षुल्क में वृद्धि हेतु नाके आदि लगाने के लिये न करके अन्य षासकीय कार्यो को निपटाने हेतु किया जा रहा है जबकि हिमाचल प्रदेष राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रबन्ध निदेषक के पत्र संख्या एमएमबी/ओ एस(2)–13/96–2254 दिनांक 7.3.2007 द्वारा यह दिषा निर्देष जारी किये गये है कि वाहन का उपयोग संयुक्त रूप से व उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही करके मण्डी षुल्क मे ंवृद्धि हेतु नाके आदि लगाने के लिये ही किया जाना सुनिष्चित किया जाये।

26 **निष्कर्ष** :— मण्डी शुल्क की समय पर एवम् विहित प्रावधानानुसार वसूली किए जाने हेतु विषेष ध्यान देने की आवष्यकता है। इसके अतिरिक्त दुकानों के किराये की वसूली योग्य बकाया राषि में गत वर्ष की अपेक्षा अत्याधिक वृद्धि हुई है जिसकी वसूली हेतु उचित कदम उठाए जाए। उपरोक्त के अतिरिक्त देय प्रतिभूति के अन्तर के मिलान बारे भी उचित पग उठाए जाने की आवष्यकता है।

हस्ता/—
उप निदेषक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेष, षिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14) 40/76, खण्ड—9—3447—3450,दिनांक 22.5.2013, षिमला—171009

पंजीकृत

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. सचिव, विपणन समिति सोलन, जिला सोलन, हि0प्र0 को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर अनुभाग अधिकारी निवासी अंकेक्षण योजना मण्डी समिति सोलन तथा इस विभाग को षीध्र प्रेषित करें।
2. प्रबन्ध निदेषक, हिमाचल प्रदेष राज्य कृषि विपणन बोर्ड विपणन भवन खलीनी षिमला—171002
3. प्रधान सचिव (कृषि), हिमाचल प्रदेष सरकार, षिमला—171002
4. अनुभाग अधिकारी निवासी अंकेक्षण योजना विपणन समिति सोलन

हस्ता/—
उप निदेषक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेष, षिमला—171009.

परिशिष्ट–''**A**''

(अंकेक्षण प्रतिवेदन 2011–12 के पैरा–1 (घ) मे सर्न्दभित)

पुराने ऑडिट पैरों की नवीनतम सूचीः–

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/84 से 3/85

1	पैरा 6	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/86 से 3/87

1	पैरा 24(बी)	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/87 से 3/89

1	पैरा 11	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/89 से 3/91

1	पैरा 7	अनिर्णीत
2	पैरा 16	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/91 से 3/96

1	पैरा 9	अनिर्णीत
2	पैरा 14 (1 व 2)	अनिर्णीत
3	पैरा 15 (क,ख)	अनिर्णीत

4	पैरा 17, 18	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 3/99

1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 29 (1,2,4)	अनिर्णीत
3	पैरा 31	अनिर्णीत
4	पैरा 41,42,43,44,45,46,48,53	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/99 से 3/2003

1	पैरा 13(ग)	अनिर्णीत
2	पैरा 14	अनिर्णीत
3	पैरा 15(ख)	अनिर्णीत
4	पैरा 21, 35, 41	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2003 से 3/2005

1	पैरा 9	अनिर्णीत
2	पैरा 10 (ख, ग)	अनिर्णीत
3	पैरा 12(च)	अनिर्णीत
4	पैरा 17	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2006

1	पैरा 5(घ)	अनिर्णीत
2	पैरा 11,13,14	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2007

1	पैरा 5,7,8,9	अनिर्णीत
2	पैरा 10(ज)	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2008

1	पैरा 5(2)	अनिर्णीत
2	पैरा 6,7,8	अनिर्णीत
3	पैरा 10	अनिर्णीत
4	पैरा 13	निर्णीत (संतोषजनक उतार एवं आवष्यक कार्रवाई उपरान्त)

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2009

1	पैरा 6 से 16	अनिर्णीत
2	पैरा 18	अनिर्णीत
3	पैरा 20	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2010

1	पैरा 6	अनिर्णीत

2	पैरा 8	अनिर्णीत	
3	पैरा 9	अनिर्णीत	
4	पैरा 12 से 14	अनिर्णीत	
5	पैरा 16 से 20	अनिर्णीत	

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2011

1	पैरा 3 (क, ख, ङ)	निर्णीत	(आवष्यक कार्रवई उपरान्त)
2	पैरा 3 (ग)	अनिर्णीत	
3	पैरा 3 (घ)	अनिर्णीत	
4	पैरा 3 (ङ)		
5	पैरा 3 (च)	अनिर्णीत	
6	पैरा 3 (छ)	अनिर्णीत	
7	पैरा 3 (ज)	अनिर्णीत	
8	पैरा 3 (झ)	अनिर्णीत	
9	पैरा 3 (ञ)	अनिर्णीत	
10	पैरा 4	निर्णीत	(अंकेक्षण षुल्क प्राप्त पैरा समाप्त)
11	पैरा 5	अनिर्णीत	
12	पैरा 6	अनिर्णीत	
13	पैरा 7	अनिर्णीत	
14	पैरा 8	अनिर्णीत	
15	पैरा 9	अनिर्णीत	
16	पैरा 10	अनिर्णीत	
17	पैरा 11	अनिर्णीत	
18	पैरा 12	अनिर्णीत	
19	पैरा 13	अनिर्णीत	
20	पैरा 14	निर्णीत	(सन्तोषजनक उत्तर एवं आवष्यक कार्रवाई उपरान्त)
21	पैरा 15	अनिर्णीत	
22	पैरा 16	अनिर्णीत	

23	पैरा 17	अनिर्णीत
24	पैरा 18	अनिर्णीत